राजस्थान सरकार
निदेशालयए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान,
स्टेट हैल्थ सोसायटी (एन.सी.डी./टोबेको कन्ट्रोल)

क्रमांक एनटीसीपी/2014/400 दिनांकः 14.11.2014

परिपत्र

सिगरेट एवं अन्य तंम्बाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 4 अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है, तथा धारा 6 (बी) अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। निदेशालय परिसर में भी निरन्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है, तथा साथ ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल होने के अतिरिक्त यहां पर राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ भी संचालित है।

राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में गुटखा पदार्थो के उत्पादन, भण्डारण व विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है, तथा सम्पूर्ण निदेशालय परिसर को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इसी क्रम सभी अनुभाग प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी या आगन्तुक तम्बाकू, पान मसाला, बीडी, सिगरेट तथा धुम्रपान को बढावा देने वाली अन्य सामग्री जैसे माचिस, लाईटर आदि निदेशालय परिसर में नही लेकर आये ताकि निदेशालय परिसर को पूर्ण तंम्बाकू मुक्त परिसर के रूप में विकसित किया जा सके।

उक्त निदेशों की पालना करवाये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अनुभाग प्रभारी की है एवं यदि कोई उल्लघनकर्ता पाया जाता है तो अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(नीरज के. पवन)
अति. मिशन निदेशक (एनएचएम)
एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एनटीसीपी/2014/ दिनांकः
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
3. निदेशक (जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक (वित्त),एनएचएम, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक परिवार कल्याण, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सवेायें, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक एडस, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सवेायें, राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, राजपत्रित, अराजपत्रित, चिकित्सा प्रशासन, ग्रामीण स्वास्थ्य, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सवेायें, राजस्थान जयपुर।
8. औषधि नियंत्रक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. परियोजना निदेशक एमएमजेआरके, मेटरनल हैल्थ, परिवार कल्याण, चाईल्ड हैल्थ इमियूनाइजेशन, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सवेायें, राजस्थान जयपुर।
10. नोडल अधिकारी एमएनडीवाई, एमएनजेवाई, एनसीडी, तंम्बाकू नियंत्रण, आईडीडी, आईडीएसपी, कुष्ठ रोग व क्षय रोग निदेशालय मुख्यालय।
11. केयर टेकर, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि स्वास्थ्य भवन परिसर में तैनात सभी सूरक्षा गार्डो को पाबंद करे कि वह निदेशालय परिसर में आने वाले प्रत्येक आगन्तुक को तम्बाकू/पान मसाला/बीडी/सिगरेट आदि पदार्थ अपने साथ नही लाने हेतु सूचित करें।

(नीरज के. पवन)
अति. मिशन निदेशक (एनएचएम)
एवं निदेशक आई.ई.सी